सचिका स0–07 / बजट–46–01 / 2022 – 496 (7)

. बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 10 / 03 / 2025

विषय:– राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुंगेर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर रु0 603.68 करोड़ (रुपये छः सौ तीन करोड़ अरसठ लाख) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 मेंभारत सरकार के"Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under part-I"के तहत इस परियोजना हेतु द्वितीय किस्त के रूप में रू0 10,00,00,000/– (रूपये दस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, मुगेर मे 150 नामाकन क्षमता के साथ 630 बेड के अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रति चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल रू० 603 68 करोड (रुपये छ सौ तीन करोड अरसठ लाख) मात्र के तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन (प्रारभिक परियोजना प्रस्ताव) के आधार पर विभागीय राज्यादेश संख्या–11(7), दिनाक–21 04 2022 द्वारा स्वीकृति दी गयी है।

2– भारत सरकार, वित्त मत्रालय के पत्राक–F No 44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Bihar, Date 08 08 2024 द्वारा स्वास्थ्य विभाग को कुल 700 00 करोड के स्कीमो की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत कुल राशि में से वर्णित स्कीम हेतु रू० 30 00 करोड राशि की स्वीकृति प्राप्त है। उक्त स्वीकृत राशि के अतर्गत भारत सरकार, वित्त मत्रालय के पत्राक–F No 44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-SACE-48, Dated 20 01 2025 एव वित्त विभाग के पत्रांक–55/वि०, दिनाक–21 01 2025 के द्वारा "Under Part-I" के तहत द्वितीय किस्त के रूप मे स्वास्थ्य विभाग को रू० 238 00 करोड मात्र की राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई है। विदित हो कि वित्त विभाग पत्र संख्या–481/वि०, दिनाक–09.08. 2024 के आलोक Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under part-I के तहत प्रथम किस्त के रूप मे विभिन्न स्वीकृत स्कीम अतर्गत कुल रू० 462.00 करोड व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी है।

3–इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है–

क्र० स०	वित्तीय वर्ष	राशि (रू० मे)	व्ययादेश/आवटनादेश सं० एवं दिनाक
1	2024–25	20,00,00,000	सं०–178(7), दिनांक–17 09 2024
2	2024–25	25,00,00,000	स०–405(7), दिनाक–30 01 2025
	कुल–	45,00,00,000	

4–अतएव राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुंगेर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर रु0 603.68 करोड (रुपये छः सौ तीन करोड अरसठ लाख) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 मे भारत सरकार के "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under part-I" के तहत इस परियोजना हेतु प्रथम किस्त से रू० 20 00 करोड की स्वीकृति दी जा चुकी है। वर्त्तमान में द्वितीय किस्त के रूप मे रू0 10,00,00,000/– (रूपये दस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5–उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना द्वारा विभागीय राज्यादेश सख्या–11(7), दिनाक–21 04 2022 में निहित शर्त्तो के अधीन किया जायेगा ।

6–,इस राशि के व्यय का वहन मांग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसधान–050–भूमि– 0103–नए चिकित्सा महाविद्यालय एव पारा मेडिकल सस्थान हेतु, विपत्र कोड–20–4210030500103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0103–53–01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई मे उपबधित/ द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

7– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8– वित्त विभागीय पत्र सख्या–632वि०, दिनांक–04 07.2023 के क्रम मे निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या–10792/वि०, दिनाक–06.12 2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under Part-I" के लिए पूंजीगत परियोजनाओ से सबधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैक खाते मे हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट स0 PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID----------मे जमा करेगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबधित बैक खाते मे हस्तान्तरित कर दिशा–निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

9–वित्त विभागीय पत्राक–432/वि०, दिनांक–29 03 2023 एवं पत्राक–55, दिनांक–21 01 2025 के आलोक मे ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र GFR 12B मे विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र मे तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

10– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04 98, 2880/वि0(2), दिनाक–06 05 06 एवं 2938/वि0(2), दिनाक–08.04.08, 2199/वि0, दिनाक–24 03 2017 एव 3758/वि0, दिनाक–31.05 2017,7111/वि०(2), दिनाक–28 07 2022 एवं 12888/वि0, दिनाक– 03 12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

11–इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12–प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

13–प्रारूपमें सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/ आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या–07/बजट–46–01/2022 के पृष्ठ–63/टि0 में प्राप्त है।

14–यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शैलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–07/बजट–46–01/2022/स्वा0, - 496(7) पटना, दिनांक– 10/03/2025

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुगेर/अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री. स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–7/लेखा शाखा (दो प्रतियो मे), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एव सबधित सभी को ई–मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।

496(7)
10/03/2025

10/3/25
सरकार के अपर सचिव।